

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,

सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।

रांची, दिनांक 23/01/2007/

विषय:-

आनन्दालय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर, मधुपुर, देवघर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आनन्दालय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर, मधुपुर, देवघर से प्राप्त आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन मात्र सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है। सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व बोर्ड अपनी मानक शर्तों को पूरा करने के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेगा। राज्य सरकार की शर्त निम्नवत है:-

- (i) विद्यालय प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व वर्गवार छात्रों की संख्या, शुल्क, नामांकन प्रक्रिया की पूर्ण सूचना देनी होगी।
- (ii) दस प्रतिशत सीट राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी0पी0एल छात्रों के लिए अनिवार्य है, साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क ही उन छात्रों से लिया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का एक प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक अनुदान देय नहीं होगा।
- (iv) संस्था द्वारा नामांकन हेतु कोई कैंपिटेशन फी/डोनेशन फी नहीं लिया जाएगा।
- (v) विद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य होगी।
- (vi) विद्यालय में निरीक्षण का अधिकार विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा निदेशक, मा0 शि0 द्वारा नामित पदाधिकारियों को पूर्णतः होगा।
- (vii) विद्यालय में किसी भी तरह का शुल्क बढ़ाने से पूर्व उसपर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (viii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विद्यालय को प्राप्त आय का उपयोग किन-किन कार्यों में किया जाएगा, उसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी तथा उसकी स्वीकृति भी राज्य सरकार से लेनी होगी, साथ ही प्रतिवर्ष विद्यालय को प्राप्त आय का अंकेक्षण कराकर उसके प्रतिवेदन की एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (ix) शिक्षक/शिक्षकेतरकर्मियों सहित शेष अन्य तरह के भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जाएगा।
- (x) नामांकन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे।
- (xi) यह संस्था राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले नियमों का अक्षरशः पालन करेगी।
- (xii) विद्यालय को जिस क्षेत्र विशेष के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है, उस क्षेत्र विशेष के अतिरिक्त किसी और जगह पर संबंधित विद्यालय की कोई अन्य शाखा नहीं खोली जाएगी। यदि खोली जाती है तो उसके लिए अलग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा।
- (xiii) एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

- (xiv) यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त/सिद्धांत की अवहेलना/उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है, तो जॉचोपरांत संबंधित विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करते हुए सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई को अपनी मान्यता समाप्त करने हेतु सूचित कर दिया जाएगा ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

झारखंड, रांची।

ज्ञापांक 284 /

रांची, दिनांक 23.1.2017

प्रतिलिपि:-

माननीय मंत्री जी के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका / जिला, शिक्षा पदाधिकारी, देवघर/ प्राचार्या, आनन्दालय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर, मधुपुर, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

झारखंड, रांची।